



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122025-268123  
CG-DL-E-01122025-268123

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 792]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 2025/अग्रहायण 10, 1947

No. 792]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 2025/AGRAHAYANA 10, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 878(अ).— केंद्र सरकार, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग) की दिनांक 06 जनवरी, 2025 की अधिसूचना, सा. का. नि. सं. 17 (ई) का अधिक्रमण करते हुए, एतद्वारा, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से श्री एच. एन. अस्वथ, विकास सलाहकार की अधिवर्षिता के कारण उनके स्थान पर श्री दिनेश कुमार, निदेशक, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम (पार्ट-2)]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**

(PHRD Division)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st December, 2025

**G.S.R. 878(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping and Waterways (PHRD Division) G.S.R. No. 17 (E) dated 6<sup>th</sup> January 2025, the Central Government hereby appoints Shri Dinesh Kumar, Director, Ministry of Ports, Shipping & Waterways, in place of Shri H. N. Aswath, Development Advisor, due to his superannuation from Ministry of Ports, Shipping & Waterways as an Ex-officio Member of the Board of New Mangalore Port Authority with immediate effect and until further orders.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour (Part-2)]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.